# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 308/2016**

1. सुखदेवसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनचेतसिंह पुत्र सुखदेव सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबच्चन सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. छिन्द्रपाल कौर पत्नि जगदेव सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरविन्द्रसिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पवनदीप कौर पुत्री जगदेव सिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**बाबत रास्ता**

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता | प्रार्थीगण |
| 2. श्री सतनाम सिंह अधिवक्ता | प्रार्थी संख्या एक |
| 3. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता | प्रार्थी संख्या दो ता पाँच |

## – :: निर्णय ::–

**दिनांक :– 20.09.2016**

प्रार्थीगण द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान का रकबा चक 23 एम. एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 118 मुरब्बा नम्बर 52 के किलानम्बर 10, 11, 12, 13 कुल 0.860 हैक्टर प्रार्थी संख्या 1 के नाम से तथा खाता संख्या 76/119 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 7, 8, 9 कुल 0.696 हैक्टर प्रार्थी संख्या 2 के नाम से खातेदारी दर्ज है।

उक्त रकबा के लिये कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 52 के साथ उत्तर दिशा में मुरब्बा नम्बर 42 लगता है जिसका किला नम्बर 25 अप्रार्थियान 2 ता 5 के नाम से दर्ज है तथा इसके साथा सरकारी रास्ता लगता है। कालान्तर में उक्त भूम में से कच्चा खाला चल रहा था जिससे प्राथीगण को भूमि में आने जानें कि कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी परन्तु वर्तमान में खाला पक्का बननें के कारण रास्ता बन्द हो चुका हो चुका होनें के कारण रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है।

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

रास्ता में रूकावट पैदा हो जानें से प्रार्थीगण के लिये प्रस्तावित रास्ता मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोनें पर खाला की जगह छोड़कर 16X16 फीट रास्ता स्वीकृत करवाया जाना तथा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 के उत्तरी हिस्सा में एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा तथा किला नम्बर 4 उत्तरी हिस्सा में 34 फीट लम्बा एक बिस्वा चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण चार बिस्वा पूर्वी तरफ छोड़कर एक बिस्वा रास्ता 165 फीट लम्बा स्वीकृत करवाना आवश्यक है। जिससे की प्रार्थीगण अपनें रकबा में प्रवेश कर सकेगे , इस रास्ता के लिये डी.एल.सी. रेट देनें के लिये तैयार है।

उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के रकबा के लिये अन्य कोई रास्ता ना तो है तथा ना ही सुविधाजनक हो सकता है।

अतः मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 7 ता 13 के लिये मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोनें पर खाला की जगह छोड़कर 16X16 फीट रास्ता स्वीकृत करवाया जाना तथा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 के उत्तरी हिस्सा में एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा तथा किला नम्बर 4 उत्तरी हिस्सा में 34 फीट लम्बा एक बिस्वा चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण चार बिस्वा पूर्वी तरफ छोड़कर एक बिस्वा रास्ता 165 फीट लम्बा स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को भी भिजवाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करनें का निवेदन किया मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य सुविधाजनक रास्ते के निम्न विकल्पों का अंकन किया :–

1. मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 24, 25 में होते हुए मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 4 में किला नम्बर 7 तक।
2. मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5, 6 (उत्तर दक्षिण) किला नम्बर 13, 14, 15 (पूर्व पश्चिम तक)
3. मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 में 16X16 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 4/.013, 5/.013, हैक्टर (किला नम्बर 7 तक)

इसी मुरब्बा में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत/प्रचलित नहीं है।

दिनांक 15.09.2016 को प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुए तथा रास्ता सम्बंधी विवाद में राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि हम मिकरान पक्षकारान का पंचायत नें आपस में राजीनामा करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीयान नें प्रार्थीयान को अपनें रकबा चक 23 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 7 ता 13 प्रार्थी के रकबा के लिये अपनें रकबा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोनें पर खाला की जगह छोड़कर 14.6X16 फीट तथा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 में उत्तरी हिस्सा में एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा तथा किला नम्बर 4 उत्तरी हिस्सा में 34 फीट लम्बा व एक बिस्वा चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण 4 बिस्वा पूर्वी तरफ छोड़कर एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा रास्ता में सहमती से दे दिया है इस रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 15.09.2016 को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागणों नें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामें के अनुसार ही रास्ता स्वीकृत किये जानें के कथन किये।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वाराप्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किये जानें पर राजीनामें अनुसार रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

A7
3



अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार चक 23 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोनें पर खाला की जगह छोड़कर 14.6X16 फीट तथा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 में उत्तरी हिस्सा में एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा तथा किला नम्बर 4 उत्तरी हिस्सा में 34 फीट लम्बा व एक बिस्वा चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण 4 बिस्वा पूर्वी तरफ छोड़कर एक बिस्वा चौड़ा 165 फीट लम्बा रास्ता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद करनें के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर